प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, सहारनपुर द्वारा एक अभियुक्त को 07 वर्ष 08 माह का कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः–

अवगत कराना है, कि दिनांक 14.03.2013 को वादी श्री भीम सिंह पुत्र कलीराम नि0 तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर के द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र दलसिंह नि0 पठौडी बक्काल थाना नागल द्वारा वादी की बहन रोशन को दहेज के लालच में मिटटी का तेल डालकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0 76/2013 धारा 498ए,304बी, भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में थाना नागल पर पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 787/2013 पर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03, सहारनपुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03, सहारनपुर द्वारा दिनांक 19–11–2020 को अभियुक्त मुकेश पुत्र दल सिंह नि0 पठौडी बक्काल थाना नागल, सहारनपुर को मु0अ0सं0 76/2013 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में दोषी पाते हुए 07 वर्ष 08 माह का कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।